30 साल पुराने मारपीट के केस में तीन दोषियों पर जुर्माना, साइबर ठगी के 40 हजार भी लौटाए

- **ऑपरेशन कनविक्शन के तहत तीन दोषी करार, साइबर पीड़िता को मिली राहत**

भास्कर ब्यूरो

बलरामपुर। जिले में पुलिस की प्रभावी पैरवी और त्वरित कार्रवाई से दो अलग-अलग मामलों में पीड़ितों को राहत मिली है। एक ओर करीब 30 साल पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 1,200 रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, साइबर ठगी की शिकार महिला के 40 हजार रुपये पुलिस की तत्परता से वापस खाते में पहुंच गए।

30 साल पुराने मामले में तीन दोषियों पर जुर्माना : कोतवाली नगर क्षेत्र में 9 अप्रैल 1996 को पोखिंग बाग निवासी अब्दुल मजीद ने पुलिस को तहरीर देकर पुरैनिया तालाब निवासी इश्तियाक उर्फ सुहेल, मोहम्मद वसीम उर्फ कन्हाई और मोहम्मद जसीम पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने धारा 323, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस ने मामले में प्रभावी पैरवी की। सहायक अभियोजन अधिकारी आशा यादव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी और कोतवाली नगर पुलिस की पैरवी के बाद सीजेएसडी/एसीजेएम न्यायालय ने तीनों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने प्रत्येक पर 1,200 रुपये का अर्थदंड लगाया।

लिंक खोलते ही खाते से कटे थे 62,500 रुपये : श्रीदत्तगंज क्षेत्र के ग्राम कान्ह भारी निवासी प्रमिला देवी के मोबाइल पर 8 अगस्त 2025 को एक लिंक आया था। लिंक खोलने के बाद उनके खाते से 62,500 रुपये कट गए। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत संख्या 33108250090705 के आधार पर साइबर हेल्प डेस्क ने बैंक से समन्वय कर 40 हजार रुपये तत्काल होल्ड करा दिए। न्यायालय के आदेश के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय किया गया और 40 हजार रुपये पीड़िता के खाते में वापस करा दिए गए। कार्रवाई में उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार और आरक्षी अभिषेक सत्यार्थी शामिल रहे। रुपये वापस मिलने पर पीड़िता ने पुलिस का आभार जताया।